उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-162/2017/1088/92-2-17-97(जांच)/2016

लखनऊ:: दिनांक 01 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-ललितपुर में अधिशासी अभियन्ता तथा प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-झांसी के पद पर तैनाती के दौरान प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना सहित उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्य सम्पादन, निर्गत दिशा-निर्देशों/शासनादेशों वित्तीय नियमों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण तथा समय के अंतर्गत कार्य संपादन न कराने, गम्भीर लापरवाही बरतने एवं अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के रूप में सौंपे गये दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाहन न किये जाने आदि के लिए उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के पत्र संख्या-1517/92-2-2016-97(जांच)/2016, दिनांक 07-09-2016 द्वारा श्री मो0 रिजवान साबिर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुये स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री साबिर का स्पष्टीकरण पत्र संख्या-484/प्र0मं0ग्रा0स0यो0/पीआईयू/स्था0/व्य0पत्रा0/2016-17, दिनांक 30.09.2016 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 14.10.2016 के माध्यम से शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री मो0 रिजवान साबिर के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, बचाव उत्तर पर निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से प्राप्त आख्या एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री मो0 रिजवान साबिर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर के विरूद्ध शासन के पत्र संख्या-1517/92-2-2016-97(जांच)/2016, दिनांक 07-09-2016 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-162/2017/1088(1)/92-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी-1011/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/2017-18, दिनांक 03-07-2017 के क्रम में ।

2- श्री रिजवान साबिर, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-ललितपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 शफ़कत कमाल)
विशेष सचिव।

http://shasanad sh.up.ni .in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।